बिहारशरीफ नगर निगम (नालंदा)

बजट:- 2022-23

कार्यालय, बिहारशरीफ नगर निगम, नालंदा ।

नगर निगम बिहारशरीफ , नालंदा का वित्तीयवर्ष 2022-23 बजट से सम्बंधित सूचना : -

इस शहरी निकाय की स्थापना अधिसूचित नगर निगम क्षेत्र के रूप में वर्ष 2007 में हुई थी । नगर निगम बिहार शरीफ का कार्यालय नगर के नगर निगम रोड पर स्थित है, वर्तमान में यहाँ 46 वार्ड है तथा नगर विकास एवं आवास विभाग पटना के अधिसूचना द्वारा नए क्षेत्रो को नगर निगम के सीमा में सम्मलित किया गया है। जिस कारण नगर निगम का क्षेत्रफल बढ़ गया है , प्रस्तुत बजट में वर्तमान 46 वार्ड एवं नए अधिसूचित क्षेत्रो में वित्तीय वर्ष 2022-23 पर विभिन्न श्रोतो से अनुमानित आय एवं किये जाने वाले अनुमानित व्यय का लेखा जोखा है : -

नगर निगम बिहारशरीफ के प्रशासनिक पदाधिकारियों की सूची -

1. श्री तरन जोत सिंह , (भा०प्र०से०) , नगर आयुक्त
2. श्री जयेश कुमार सिन्हा , उप नगर आयुक्त
3. श्री सतेंद्र प्रसाद वर्मा , उप नगर आयुक्त
4. श्री विनोद कुमार रजक , उप नगर आयुक्त
5. श्री विनय रंजन , नगर प्रबंधक

बिहारशरीफ नगर निगम, नालंदा।

क्रम संख्या	अनुक्रमणिका
1	व्याख्यात्मक विवरणी
2	वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (दिसम्बर 2021तक) में वास्तविक आय- व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित आय-व्यय
(a)	बजट का चित्रात्मक विश्लेषण
(b)	बजट का सारांश
(c)	बजटका प्रधान मुख्य शीर्षक
(d)	बजटका लघु शीर्षक
(e)	बजटका विस्तृत शीर्षक
3	शहरी गरीब केआधारभूत सेवाओं के लिए आवंटित बजट प्रवाधान
4	बजट परिणाम का सारांश
5	सर्विस लेवलबेंच मार्कस
6	राजस्व दर एवं सेवा शुल्क
7	स्थापना का परिशिष्ट
8	सैरातो की सूची
9	संपति का व्योरा
10	मार्केट की सूची व्योरा
11	वाहनों की सूची
12	वार्ड सभा का विवरण

व्याख्यात्मक विवरणी

नगर निगम बिहारशरीफ (नालंदा) के वित्तीय वर्ष 2022-23का बजट प्राक्कलन बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82, बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के अध्याय 24 एवं बिहार नगरपालिका बजट हस्तक 2014 के आलोक में तैयार किया गया है| वर्ष 2022-23 का बजट बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 एवं बिहार नगर पालिका बजट प्रारूप के अनुसार तैयार किया गया है |

बजट प्रारूप : आय व्यय शीर्षो को मुख्यत: चार लेखो श्रेणियाँ में बाटा गया है|

(1) राजस्व प्राप्ति
(2) राजस्व व्यय
(3) पूजींगत प्राप्ति
(4) पूजींगत व्यय

निगम के आंतरिक श्रोतो में आय में व्यापक वृद्धि की आशा है, जैसा की नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा किये गयें निम्लीखित उपायों से स्पष्ट हैं|

(1) बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में किये गये संसोधन |
(2) बिहार नगर पालिका सम्पति कर (निर्धारण/ संग्रहण एवं वसूली) नियमावली 2013|
(3) बिहार नगर पालिका कर एवं गैर कर राजस्व वसूली विनियम 2013|
(4) बिहार मोबाइल टावर आप्टिकल फाइबर केबल्स (OFC) और सम्बंधित दूरसंचार अवसंचरना नियमावली 2020 |
(5) विज्ञापनकर एवं शुल्क से सम्बंधित दिशा निर्देश |
(6) पार्किंग शुल्क से सम्बंधित दिशा निर्देश |
(7) करों की ऑनलाइन संग्रह की सुविधा |
(8) व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क |
(9) पंद्रहवी वित् एवं षष्ठम वित् के संकल्प

वितीय वर्ष 2022-23 के बजट का मुख्य सारांश इस प्रकार है - :

वर्ष 2022-23का बजट निगम की सभी शाखाओं से प्राप्त आकडो जिसमे वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22के माह दिसम्बर तक के वास्तविक आय-व्यय एवं अगले वर्ष अर्थात वर्ष 2022-23में संभावित आय-व्यय के आकडो को संकलित कर तैयार किया गया है|

बजट वर्ष 2022-2023के प्रस्तावित बजट मेंअनुमानित प्रारंभिक शेष में 91, 71,26,961/- इक्यानवे करोड़ एक्याथर लाख छबीस हजार नो सौ इकसठ रुपये) तथा 2,19,53,32,000/- (दो अरब उन्नीस करोड़ तिरेपन लाख बत्तीस हजार रुपया)आय/प्राप्तिका उपबंध किया गया है एवं कुल 2,42,37,66,000/- (दो अरब बयालीस करोड़ सैतीस लाख छियासठ हजार रुपये) व्यय का उपबंध किया गया है। इस प्रकार कुल अवशेष राशि 68,86,92,961/- (अरसठ करोड़ छयासी लाख बिरानब्बे हजार नो सौ इकसठ रुपये) रहने का अनुमान है।

निगम के सभी बैंक खातों में उपलब्ध प्रारम्भिक शेष एवं वर्ष में प्राप्त होने राशि तथा बजट में दिखाये गए कुल भुगतानों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है|

बजटसारांश-2022-23	राशि (रुपये में)
प्रारंभिकशेष	91,71,26,961.00
जोड़े : अनुमानित आयवित्तीय वर्ष 2022-23	2,19,53,32,000.00

घटाय : अनुमानित व्यय वित्तीय वर्ष **2022-23**	2,42,37,66,000.00
अंतिम शेष (लाभ /(हानि)	68,86,92,961.00

नगर निगम बिहारशरीफ, प्राप्ति एवं व्यय के मुख्य स्रोत

1. नगर निगम बिहारशरीफ क्षेत्र के मकानों का सम्पत्ति कर बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के धारा **127** के अनुसार वसूल किया जा रहा है जो वर्तमान में सम्पत्ति कर वार्षिक किराया मूल्य का 9% है। नगर निगम बिहारशरीफ के सम्पत्ति कर का पुनरीक्षण बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के **(7) (iii) प्रावधानों** के अनुसार प्रत्येक 5 बर्षो में किया जाना है। इस बजट में आगामी वर्ष के लिए बकाया एवं चालू सम्पत्ति कर की वसूली का लक्ष्य **8 करोड़ 70 लाख** रुपया रखा गया है। आगामी वर्ष में सभी अनिर्धारित एवं नए मकानों को होल्डिंग कर के दायरे में लाया जायेगा और साथ ही साथ बड़े बकायेदार की सूची अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। जिन लोगों

के द्वारा होल्डिंग कर का भुगतान समय पर नहीं किया जायेगा उनपर बिहार नगरपालिका कर एवं गैर- कर विनियम 2014 के प्रावधानों के अंतर्गत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी जिससे नगर निगम बिहारशरीफ के राजस्व में सम्मानजनक वृद्धि होने की संभावना है।

2. निबंधन विभाग के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के जमीन एवं मकानों के हस्तांतरण पर 2% अतिरिक्त स्टाम्प /मुद्रांक शुल्क के रूप में वसूल करती है जिसके अंतर्गत **6 करोड़ 50 लाख** रुपया आने का अनुमान है।

3. प्रोफेशनल टैक्स से रु० **2 करोड़** प्राप्ति का अनुमान है ॥

4.सड़क के किनारे लगने वाले अस्थाई दुकानों ,वाहनों के सैरात से किराये इत्यादि के रूप में वित्तीय वर्ष 2021-22 में नगरपालिका के सम्पत्ति से किराया मद में करीब **1 करोड़ 56 लाख 60 हजार**रुपये आने की संभावना है।

5. फी एवं यूजर चार्ज के अंतर्गत आने वाले ट्रेड लाइसेंस ,जन –मृत्यु , अतिक्रमण हटाने का शुल्ककर विलंबित भुगतान के लिए जुर्माना , भवन अनुज्ञा शुल्क,पानी के टैंकर का शुल्क,सेप्टिक टैंक क्लीयरेंस ,कचरा संग्रहण प्रभार इत्यादि

से लगभग **70 लाख 50 हजार** रुपये की आय की संभावना है।

6. फार्म और प्रकाशन की बिक्री (BOQ) एवं उपकरण पर भाड़ा के मद से करीब **42 लाख52 हजार** रुपये प्राप्ति अनुमान है।

7. केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली पूंजी एवं राजस्व अनुदान के रूप में NULM अनुदान, माननीय पार्षद हेतु अनुदान, 15 वीं वित्त,सब के लिए आवास योजना,मुख्यमंत्रि नाली गली एवं पेयजल,षष्टम वित्त आयोग अनुदान, जल जीवन हरियाली योजना अनुदान, नागरिक सुविधा मद अनुदान इत्यादि से करीब **197 करोड़ 72 लाख** रुपये प्राप्ति का अनुमान है।

8. नगर निगम बिहारशरीफक्षेत्र में कई मोबाइल कंपनी द्वारा मोबाइल टावर का अधिष्ठापन किया गया है। सरकार द्वारा मोबाइल टावर शुल्क का निर्धारण किया गया है , जिसे मोबाइल टावर कंपनी को डिमांड बनाकर नगर निगम बिहारशरीफ द्वारा नोटिस किया जाना है, भुगतान नहीं किये जाने की दशा में बिहार मोबाइल टावर आप्टिकल फाइबर केबल्स (OFC) और सम्बंधित दूरसंचार अवसंचरना नियमावली 2020 एवं बिहार नगरपालिका कर एवं गैर- कर विनियम 2014 के अंतर्गत मोबाइल टावरो को सील करते हुए क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिससे करीब **13 लाख** रुपये वसूल होने की संभावना है।

व्यय -

1. स्थापना व्यय मद के अंतर्गत नगर निगम बिहारशरीफ के कर्मचारीगण के लिए वेतन, मजदूरी,लाभ और भत्ते,पेंशन /P.F. योगदान और सेवानिवृत्ति लाभ के लिए करीब **20 करोड़ 71 लाख 27 हजार** रुपये का उपबंध किया गया है |

2. प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत कार्यालय रखरखाव का खर्च,संचार खर्च, किताबें और पत्रिकाएं, मुद्रण तथा लेखन सामग्री,यात्रा और वाहन,बीमा,अंकेक्षण शुल्क,विधि व्यय, राजस्व वर्द्धन एवं वित्तीय प्रबंधन तकनीकी सलाहकार ,विज्ञापन एवं प्रकाशन,अन्य प्रशासन मद के व्यय में करीब **2 करोड़ 12 लाख 62 हजार** रूपये का प्रावधान किया गया है |

3. परिचालन एवं संरक्षण मद के अंतर्गत कचरा सफाई , बिजली और ईंधन,स्टोर की खपत,भाड़ा , मरम्मत एवं रख रखाव इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, नागरिक सुविधाएं, इमारतें, वाहन,अतिक्रमण व्यय ,अन्य रखरखाव के व्यय ,के लिए करीब **24 करोड़ 99** लाख **82 हजार** रूपये का उपबंध किया गया है।

4. कार्यक्रम संबंधित व्यय मद के अंतर्गत संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए फोगिंग छिडकाव,प्राकृतिक आपदासे बचाव ,स्वच्छ शहर के लिए विशेष अभियान छठ दीपावली आदि पर सफाई , पियाओ मद, कम्बल वितरण , अलाव जलावन , NULM अनुदान व्यय ,सब के लिए आवास योजना इत्यादि में **करीब 4 करोड़ 70 लाख 95 हजार** रूपये खर्च का प्रावधान किया गया है

5. पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नगर पालिका के नए लैंड फिल साईट जमीन हेतु क्रय , मार्केट काम्प्लेक्स, सामुदायिक भवन ,शवदाहगृह, कम्पोस्ट प्लांट , पुस्ताकलय, रेन बसेरा, ओल्डऐज होम ,पार्क ,वेंडर जोन, सामुदायिक शौचालय , सड़क और पुल ,ड्रेनेज,सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था,सफाई उपकरण एवं संयंत्रों और मशीनरी,वाहन, कार्यालय एवं अन्य उपकरण,फर्नीचर, फिक्स्चर, फिटिंग और विद्युत उपकरण,निपटान के तहत संपत्ति इत्यादि मद में खर्च के लिए करीब **167 करोड़ 60लाख** रूपये का प्रावधान किया गया है।

जिसमे नगर पालिका के नए लैंड फिल साईट जमीन एवं ओपन जिम पार्क भूमि क्रय हेतु13 करोड़ ,मार्केट काम्प्लेक्स ,सामुदायिक भवन 1 करोड़ , रैन बसेरा 1 करोड़ , शवदाहगृह, बधशाला , बस स्टैंड 1 करोड़ , वेंडर जोन 1 करोड़ , रोड एवं नाला निर्माण हेतु Rs.65 करोड़ 90 लाख, जलापूर्ति प्रणालीएवं जल जीवन

हरियाली योजना हेतु Rs. 5 करोड़ 5 लाख, पब्लिक लाइट हेतु Rs. 6 करोड़, मल्टी स्टोरेज पार्किंग विकास Rs. 2 करोड़, सफाई उपकरण एवं वाहन क्रय हेतु 5 करोड़ , सम्पत्ति कर वसूली साफ्टवेयर हेतु 50 लाख , डस्ट बिन क्रय 40 लाखएवं स्मार्ट वार्ड योजना में 2 करोड़ रूपये खर्च करने का उपबंध किया गया है।

6. बिहारनगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा 255 के अधीन नगरपालिका क्षेत्र में समुचित एवं सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक उपयोग के लिए पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय का उपबंध एवं अनुरक्षण करने उपबंध है। इसके लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपये का उपबंध किया गया है। इसका संरचना इस प्रकार का होगा किइस पर विज्ञापन प्रदर्शित किया जा सके ताकि इसके अनुरक्षण की लागत के साथ नगर पालिका को आय भी प्राप्त हो।

7. साथ ही , बिहार नगर पालिका अधिनियम ,2007 के धारा 82 अंतर्गत संसाधनों का 25% शहरी गरीबो के लिए आधारभूत सेवाओं हेतु कर्णांकित करने का प्रावधान है जिसमे उपलब्ध राशि का 25 . 56 % अर्थात् Rs. 79 करोड़ 54 लाख लगभग रुपया उपबंध किया गया है।

नगर आयुक्त
बिहारषरीफ नगर निगम।

जिला पदाधिकारी, नालन्दा–सह–प्रषासक
बिहारषरीफ नगर निगम।